CS(M) EXAM 2012

F-DTN-M-MBXA

LAW

Paper I

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 300

INSTRUCTIONS

Each question is printed both in Hindi and in English.

Answers must be written in the medium specified in the Admission Certificate issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer-book in the space provided for the purpose. No marks will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Certificate.

Candidates should attempt Questions no. ***1*** *and* ***5*** *which are compulsory, and any* ***three*** *of the remaining questions selecting at least* ***one*** *question from each Section.*

The number of marks carried by each question is indicated at the end of the question.

IMPORTANT : Whenever a question is being attempted, all its parts/sub-parts must be attempted contiguously. This means that before moving on to the next question to be attempted, candidates must finish attempting all parts/sub-parts of the previous question attempted. This is to be strictly followed.

Pages left blank in the answer-book are to be clearly struck out in ink. Any answers that follow pages left blank may not be given credit.

ध्यान दें : *अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपा है ।*

SECTION A

1. Answer the following (each answer should be in about 150 words) : *12×5=60*

(a) "The entries in the legislative lists are not the source of powers for the legislative constituents, but they merely demarcate the fields of legislation. It is now well settled law that these entries are to be construed liberally and widely so as to attain the purpose for which they have been enacted. Narrow interpretation of the entries is likely to defeat their object as it is not always possible to write these entries with such precision that they cover all possible topics and without any overlapping." Critically evaluate the above statement with reference to interpretation of legislative entries contained in Seventh Schedule to the Constitution.

(b) Are personal laws 'law' for the purposes of Part III of the Constitution ? Discuss with reference to leading case law.

(c) What is meant by 'individual responsibility' and 'collective responsibility' of the Council of Ministers ? What would be the consequences of 'individual responsibility' in case a Minister of the Government is found guilty of tort of misfeasance by the Supreme Court of India ? Comment.

खण्ड क

1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए (प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों का हो) : *12×5=60*

(क) ''विधायी सूचियों की प्रविष्टियाँ विधायी संघटकों का स्रोत नहीं हैं, वे केवल विधान क्षेत्रों का अभ्यंकन करती हैं । अब यह पूर्णतया निर्णीत विधि है कि इन प्रविष्टियों का अर्थान्वयन इतना उदार और विस्तृत होना चाहिए कि वे उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें जिसके निमित्त उनका अधिनियमन किया गया है । प्रविष्टियों के संकीर्ण निर्वचन से उनके लक्षण की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन प्रविष्टियों का लेखन प्रायः इतना सटीक नहीं हो पाता कि उनमें सभी विषयों का समावेश बिना किसी अतिव्याप्ति के हो सके ।'' संविधान की सातवीं अनुसूची में समाविष्ट विधायी प्रविष्टियों के संदर्भ में उपर्युक्त वक्तव्य का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

(ख) संविधान के तृतीय भाग के अनुसार स्वीय विधि क्या 'विधि' है ? प्रमुख विधिक निर्णयों के संदर्भ में चर्चा कीजिए ।

(ग) मंत्रिमंडल के 'व्यक्तिगत दायित्व' तथा 'सामूहिक दायित्व' से क्या अभिप्राय है ? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार के किसी मंत्री को अपकरण के उपकृत्य का दोषी ठहराए जाने की स्थिति में 'व्यक्तिगत दायित्व' के क्या परिणाम होंगे ? टिप्पणी कीजिए ।

(d) What is the justification behind the Pardoning power of the President of India under Article 72 of the Constitution ? Discuss with reference to Supreme Court cases the extent to which the exercise of this power can be subjected to judicial review.

(e) Do you agree with the statement that 're-looking of the process of delegated legislation is necessary particularly in context to substantial amount of public participation ?' Comment critically.

2. (a) What do you understand by the term 'Constitutional Conventions' ? Are they are relevant in a country like India having a lengthy written constitution with preamble ? *20*

(b) "Contempt of Court is a power inherent to a court of record." In this regard discuss the sweep of power of the Supreme Court and the High Courts to punish their contempt. Also examine the defences of 'fair criticism' and 'truth' in the light of Contempt of Courts Act, 1971. *20*

(c) In what circumstances and for violation of which rights can monetary compensation be awarded to the victims ? What is your view for adopting such an approach by judiciary ? Analyse critically. *20*

(घ) संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत प्रदत्त भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का क्या न्यायोचित्य है ? सर्वोच्च न्यायालय की निर्णयज विधि के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि राष्ट्रपति की इस शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन किस सीमा तक किया जा सकता है ?

(ङ) क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि 'विशेषतः ठोस जनभागीदारी के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यायोजित विधान की प्रक्रिया का पुनरावलोकन अनिवार्य होता है' ? समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए ।

2. (क) 'सांविधानिक अभिसमयों' से क्या तात्पर्य है ? उद्देशिका सहित एक लिखित बृहत् संविधान वाले भारत जैसे देश में क्या उनकी कोई सुसंगति है ? *20*

(ख) "न्यायालय की अवमानना की शक्ति अभिलेख-न्यायालय की निहित शक्ति है ।" इस संदर्भ में सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की अपनी अवमानना के लिए दंड देने की व्यापक शक्ति का विवेचन कीजिए । साथ ही, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के आलोक में 'उचित आलोचना' और 'सत्य' सम्बन्धी प्रतिवादों का परीक्षण भी कीजिए । *20*

(ग) किन परिस्थितियों में तथा किन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पीड़ितों को नक़द मुआवज़े का आदेश दिया जा सकता है ? न्यायपालिका द्वारा इस प्रकार की नीति अपनाए जाने के विषय में आपका क्या विचार है ? समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए । *20*

3. (a) With special reference to the landmark judgments of the Supreme Court of India, discuss the effect of relegation of the right to property from being a fundamental right to a constitutional right. Also suggest the changes required to be made in the Land Acquisition Act, 1894. *20*

(b) In the presence of institutions like Competition Commission of India and Telecom Regulatory Authority of India, where policy making and adjudicatory functions are fused, comment on the significance of the doctrine of separation of powers in the contemporary Indian scenario. *20*

(c) Is there any difference between 'Right to information' and 'Right to be informed' ? Do we have any provision in the Constitution in this regard ? Discuss with reference to case law. *20*

4. Write critical notes on the following : *20×3=60*

(a) Doctrine of Legitimate Expectation

(b) Institution of Local Self Government

(c) Modern progressive approach of the principles of natural justice

3\. (क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णयों के विशिष्ट संदर्भ में संपत्ति के अधिकार की मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार होने की हीनतर हैसियत के प्रभाव का विवेचन कीजिए । साथ ही यह भी बताइए कि आप 'भूमि अर्जन अधिनियम, 1894' में क्या संशोधन करना चाहेंगे । *20*

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तथा भारतीय प्रतियोगिता आयोग जैसी संस्थाओं के होते हुए, जिनमें नीति-निर्धारण एवं न्याय-निर्धारण के कृत्यों का संमिश्रण होता है, समसामयिक भारतीय परिदृश्य में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के महत्त्व पर टिप्पणी कीजिए । *20*

(ग) क्या 'सूचना का अधिकार' तथा 'सूचित किए जाने का अधिकार' के बीच कोई अन्तर है ? क्या संविधान में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान है ? निर्णयज विधि का उल्लेख करते हुए विवेचन कीजिए । *20*

4\. निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखिए : *20×3=60*

(क) विधिसम्मत प्रत्याशा का सिद्धान्त

(ख) स्थानीय स्वशासी सरकार संस्थान

(ग) नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रति आधुनिक प्रगतिशील दृष्टि

SECTION B

5. Answer the following (each answer should be in about 150 words) : *12×5=60*

(a) It is often said that customary international law is earlier to apply than to define. What are the inherent problems in defining 'custom' and how can a custom be considered as a source of international law ?

(b) With reference to the relationship between international law and municipal law, discuss the 'transformation' and 'specific adoption' theories. How can these two theories be harmonised with reference to States' obligations under relevant international law.

(c) Identify and comment on the three major grounds for a State party to avoid its treaty obligations.

(d) "The rules of the humanitarian law of war have clearly acquired the status of '*jus cogens*', for they are the fundamental rules of a humanitarian character, from which no derogation is possible without negating the basic considerations of humanity which they are intended to protect." Evaluate the above statement and also point out the major distinction between humanitarian law and law relating to human rights.

(e) Do you agree with the statement that 'United Nations is a World Government' ? Give reasons for your answer.

खण्ड ख

5. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए (प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों का हो) : *12×5=60*

(क) प्रायः ऐसा कहा जाता है कि रूढ़िजन्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित करने की अपेक्षा उसे लागू करना आसान है । 'रूढ़ि' को परिभाषित करने के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करते हुए बताइए कि उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत कैसे माना जाए ?

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा देशीय विधि के अन्तः सम्बन्ध के संदर्भ में 'रूपांतरण' और 'विनिर्दिष्ट अंगीकार' सिद्धांतों का विवेचन कीजिए । उचित अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रति राष्ट्रों के उत्तरदायित्वों के संदर्भ में इन दोनों सिद्धांतों के बीच सामंजस्य किस प्रकार किया जा सकता है ?

(ग) ऐसी तीन प्रमुख स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर कोई देश किसी संधि के प्रति अपनी बाध्यताओं से बच सकता है ।

(घ) "युद्ध की मानवीय विधि के नियमों को *'अनल्पीकरणीय विधि'* का दर्जा प्राप्त हो चुका है, क्योंकि वे मानवीय चरित्र के मूलभूत नियम हैं, जिन्हें मानवरक्षा की मूल भावना को नकारे बिना अल्पीकृत नहीं किया जा सकता ।" उपर्युक्त वक्तव्य का मूल्यांकन करते हुए मानवीय विधि तथा मानवाधिकारों से सम्बन्धित विधि के बीच प्रमुख तात्त्विक अन्तर को स्पष्ट कीजिए ।

(ङ) क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि 'संयुक्त राष्ट्र एक विश्व सरकार है' ? अपने उत्तर के समर्थन में कारणों का उल्लेख कीजिए ।

6. (a) What is meant by right of national self determination of peoples and what is its role in the creation of a new State ? Critically examine how minority rights can be protected while balancing the territorial integrity of a State at the same time. *30*

(b) 'Legal restraint on the use of force' is the fundamental postulate on which the conception of enforcement of peace is based upon in modern international law. Enumerate and elucidate various international legal instruments with the help of which this concept is actually practised. *30*

7. (a) "With the exception of disputes of an exclusively legal character which are usually submitted to arbitration or judicial settlement, it is purely a matter of policy or expediency which of the different methods is to be adopted for composing a particular difference between States." Explain the different methods of peaceful dispute settlement envisaged by the United Nations Charter and examine the appropriateness of each in different situations. *30*

(b) In the light of recent European crisis, critically assess the success of regional organisations of countries for cooperation in matters of trade and commerce. How far do geo-political proximities further economic cooperation ? *3(*

6. (क) राष्ट्रीय स्वयं निर्धारण के जनाधिकार का क्या अर्थ है तथा नए राज्य के निर्माण में इसकी क्या भूमिका है ? किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के संतुलन को बनाए रखते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । *30*

(ख) आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत शान्ति-प्रवर्तन की संकल्पना के मूल में 'बल प्रयोग पर विधिक नियंत्रण' की मूल अभिधारणा है । इस अवधारणा के व्यावहारिक संप्रयोग में सहायक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विधिक प्रपत्रों को गिनाते हुए उनकी व्याख्या कीजिए । *30*

7. (क) "प्रायः माध्यस्थम् के समक्ष प्रस्तुत विशुद्ध रूप से विधिक प्रकृति के विवादों को छोड़कर, राष्ट्रों के बीच झगड़ों का समाधान या तो नीतिगत तौर पर किया जाता है या फिर व्यावहारिक समीचीनता के आधार पर ।" संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए तथा विभिन्न स्थितियों में प्रत्येक उपाय की उपयुक्तता का परीक्षण कीजिए । *30*

(ख) हाल के यूरोपीय संकट के प्रकाश में, व्यापार और वाणिज्य के मामलों में पारस्परिक सहयोग के लिए देशों के क्षेत्रीय संगठनों की सफलता का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए । आर्थिक सहयोग में भू-राजनीतिक निकटता की कितनी भूमिका रहती है ? *30*

8. (a) Having regard to the United Nations Convention on Law of Sea (UNCLOS-III), which came into force in 1994, and its two predecessor UN Conventions on the Law of the Sea, analyse how far these conventions have been able to effectively codify customary international law of sea. *30*

(b) Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 providing an enforcement mechanism for individuals in the international sphere is a watershed moment for the enthusiasts of second generation rights. Discuss the proposed mechanism, its significance and viability. *30*

8. (क) 1994 से लागू समुद्र-विधि विषयक संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS-III) तथा उससे पहले के दो सं.रा. कन्वेंशनों को दृष्टि में रखते हुए विश्लेषण कीजिए कि ये कन्वेंशन प्रथागत अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-विधि को संहिताबद्ध करने में कहाँ तक सफल रहे हैं । *30*

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यष्टियों के अधिकारों को लागू करने की प्रविधि का प्रावधान करने वाली 1966 की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों विषयक अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का वैकल्पिक नयाचार द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों के आग्रहियों के लिए एक युगान्तरकारी क्षण है । प्रस्तावित प्रक्रिया, उसके महत्त्व एवं व्यवहार्यता का विवेचन कीजिए । *30*

F-DTN-M-MBXA

विधि

प्रश्न-पत्र I

समय : तीन घण्टे

पूर्णांक : 300

अनुदेश

प्रत्येक प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपा है ।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

*प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं । बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक प्रश्न के अंत में दिए गए हैं ।

महत्त्वपूर्ण : यह आवश्यक है कि जब भी किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हों, तब उस प्रश्न के सभी भागों/उप-भागों के उत्तर साथ-साथ दें । इसका अर्थ यह है कि अगले प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आगे बढ़ने से पूर्व पिछले प्रश्न के सभी भागों/उप-भागों के उत्तर समाप्त हो जाएँ । इस बात का कड़ाई से अनुसरण कीजिए ।

उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़े हुए पृष्ठों को स्याही में स्पष्ट रूप से काट दें । खाली छूटे हुए पृष्ठों के बाद लिखे हुए उत्तरों के अंक न दिए जाएँ, ऐसा हो सकता है ।

Note : *English version of the Instructions is printed on the front cover of this question paper.*